

हरियाणा सखि गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 में संशोधन

चर्चा में क्यों?

हरियाणा मंत्रपरिषद हरियाणा सखि गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 में संशोधन के लिये [अध्यादेश](#) को मंजूरी देने वाली है।

मुख्य बंदि

- हरियाणा सखि गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 का उद्देश्य एक कानूनी प्रक्रिया प्रदान करना था जिसके द्वारा गुरुद्वारों को उनके उचित उपयोग, प्रशासन, नियंत्रण और वित्तीय प्रबंधन सुधारों के लिये हरियाणा के सखिों के विशेष नियंत्रण में लाया जा सके।
 - इस अधिनियम ने हरियाणा के ऐतिहासिक गुरुद्वारों, 20 लाख रुपए से अधिक या उससे कम आय वाले गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिये एक अलग न्यायिक इकाई बनाई।
- प्रस्तावति संशोधन:
 - न्यायिक नयिकृतियाँ: प्रस्तावति संशोधन में हरियाणा सखि गुरुद्वारा न्यायिक आयोग के अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नयिकृति का प्रावधान शामिल है।
 - यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नयिकृति नहीं होती है तो ज़िला न्यायाधीश या आयोग के वरिष्ठ सदस्य की नयिकृति पर वचिार कया जाएगा।
 - पेंशन/पारवारिक पेंशन में संशोधन: हरियाणा सरकार से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) के अनुसार हरियाणा सरकार के सेवानवित्त न्यायिक अधिकारियों के लिये पेंशन/पारवारिक पेंशन में संशोधन के मुद्दे पर भी वचिार करेगी।

द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग

- आयोग का गठन वर्ष 2017 में अखलि भारतीय न्यायाधीश संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में संवधान के [अनुच्छेद 32](#) (संवैधानिक उपचार) के अंतर्गत कया गया था।
- इसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी. वेंकटराम रेड्डी कर रहे हैं।
- कुछ उद्देश्य इस प्रकार हैं:
 - देश भर में अधीनस्थ न्यायपालिका से संबंधति न्यायिक अधिकारियों के वेतन ढाँचे और परलिब्धियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को वकिसति करना।
 - राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों में न्यायिक अधिकारियों के पारिश्रमिक तथा सेवा शर्तों की वर्तमान संरचना की जाँच करना एवं सेवानवित्त के बाद पेंशन आदि जैसे लाभों सहति उपयुक्त सफारिशें करना।
 - ऐसे अंतरमि राहत पर वचिार करना और सफारिश करना जसि आयोग सभी श्रेणियों के न्यायिक अधिकारियों के लिये उचित समझे।
 - एक स्वतंत्र आयोग द्वारा समय-समय पर अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों के वेतन और सेवा शर्तों की समीक्षा करने के लिये एक स्थायी तंत्र की स्थापना के संबंध में सफारिशें करना।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आयोग, यदि आवश्यक हो, सफारिशों को अंतमि रूप दयि जाने पर कसि भी मामले पर रिपोर्ट भेजने पर वचिार कर सकता है।
 - आयोग को अपनी स्वयं की प्रक्रिया तैयार करने तथा कार्य पूरा करने के लिये आवश्यक तौर-तरीके तैयार करने का अधिकार दया गया है।

